झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–05

षष्ठम् (मॉनसून) सत्र
बुधवार, दिनांक–25 नवम्बर, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 04.22 बजे अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आसन ग्रहण करने के उपरांत सभी माननीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए दो दिवसीय षष्ठम् (मॉनसून) सत्र के आज के विषय के सम्बन्ध में सदन को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया कि आज दिनांक–25.11.2026 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलायी जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण **SIR** के क्रम में झारखण्ड राज्य के मतदाताओं को उत्पन्न विभिन्न परेशानियों के आलोक में निम्न प्रस्ताव पढ़ा गया–

i- विशेष गहन पुनरीक्षण **SIR** कराये जाने पर राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति है तथापि सार्वभौमिक मताधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद–326 के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है तथा किसी नियम/विनियम या प्रक्रिया के द्वारा किसी भी योग्य मतदाता को इस संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः आम जनता के बीच निर्वाचन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास कायम रखने हेतु वर्तमान में चल रहे **SIR** की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसके स्वरूप में यथोचित परिवर्तन किया जाय।

ii- **SIR** के वर्तमान स्वरूप में अपनयी जा रही प्रक्रियागत दुरूहता के कारण वैध मतदाताओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित स्थिति में सभी राज्यों एवं सभी छोटे–बड़े राजनीतिक दलों के साथ समावेशी चर्चा के उपरांत **SIR** के लिए पारदर्शी नियम तथा सरल एवं सर्वमान्य प्रक्रिया से परिपूर्ण **SOP** तैयार किये जाने के पश्चात् ही नये सिरे से **SIR** कराया जाय, ताकि सभी योग्य मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण रहे।

संदर्भित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आसन की अनुमति से मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए इसपर चर्चा प्रारम्भ किया गया तदुपरांत निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया–

मो० ताजुद्दीन,
श्री बाबूलाल मराण्डी,
श्री प्रदीप यादव,

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अन्तराल से पूर्व जारी चर्चा के क्रम में निम्न माननीय सदस्यों द्वारा भी इसमें भाग लिया गया–

श्री सुरेश पासवान,
श्री चन्द्रदेव महतो,
श्री सरयू राय,
श्री जयराम कुमार महतो,
श्री उदय शंकर सिंह,
श्री चम्पाई सोरेन,
श्री राजेश कच्छप,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्री नवीन जायसवाल,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की।

सरकार की ओर से आज प्रस्तुत **SIR** प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा विस्तारपूर्वक सरकार का पक्ष रखा गया तदुंपरांत "भारत निर्वाचन आयोग **ECI** द्वारा चलायी जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण **SIR** की प्रक्रियागत दुरूहता के कारण मतदाताओं को हो रही परेशानियों से सभी सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या–1271, दिनांक–23 नवम्बर, 2026 पर अनुसमर्थन प्राप्त कर केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हो" पर ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–26.11.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–25 नवम्बर, 2026 ई०।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।